



# राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY JAMSHEDPUR

Jamshedpur (JHARKHAND) - **831014**

(An Institution of National importance under MHRD, Govt. of India)


Office Order No NITJSR/Estt /CD/2016-2017/ 727

Date 13/12/2016

## TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Rajesh Kumar Sinha has worked to the post of Project Consultant (Civil Works) on contract basis from 10<sup>th</sup> December 2013 to 9<sup>th</sup> December 2015 on fixed consolidated remuneration of ₹ 1,00,000/- (Rupees one lakh) only per month.

This certificate is being issued on his request.

  
Registrar I/C  
10/12/2016

No: 12/E-7/ Consultat/2010/  
Dated : 23-02-2010

Shri Rajesh Kumar Sinha,  
Retd. Dy.Chief Engineer/ Civil  
Mahanandi Coalfield Ltd.  
Sambalpur (Orissa )

Through Dy.G.M/C, Tata


**Sub : Engagement as Consultant on Contractual terms and conditions.**

This office pleased to offer you contractual appointment as Consultant on the following terms and conditions :

1. Your Head quarters will be at Tata
2. You will work under Dy.GM/C, Tata, though over all in charge is GM/P. You are requested to report to DGM/C, Tata.
3. You will be paid monthly consolidated remuneration of Rs. 17,300/- as consultancy fee plus Rs 1200/- as conveyance charges per month.
4. Your appointment has been initially for 6 ( six ) months from 01-03-2010.
5. Your appointment is terminable at any time during the currency of the contract on 15 days notice on either side. You will be entitled to one days casual leave on completion of each month's service.
6. You will be entitled to TA/DA and reimbursement of accommodation charges in case you are required to stay outside your Head quarters in connection with company's business, as per rules of the company applicable to officers of equivalent status.
7. You should not take up any other assignment of any nature during the period of your consultancy with RITES Ltd.
8. You will not be entitled for any kind of reimbursement from RITES for medical treatment availed by you or your dependents.

You are requested to kindly sign and return a copy of the letter if you accept the assignment on the above terms to the undersigned

This issues with the approval of GM/P

  
(Tapan Chatterjee)  
Manager/P&A



# ADITYAPUR AUTO CLUSTER

(Registered under Section 25 of the Companies Act, 1956)

Under the Dept. of Industries, Commerce & Industry, Govt. of India  
CIN: UO1101 GH2005 NPL011121

Regd. Office: Adityapur Auto Cluster, Plot No. 11 & 12, Adityapur, Kanchi Road,  
Bangalore - 560025, Karnataka, India. Phone: 080-26541111, 080-26541112  
E-mail: info@adityapurautocluster.com, adityapurautocluster@gmail.com. Website: www.adityapurautocluster.com

Date:- 07-07-2016

Ref No: AAC/CS/ 22/07-16


To,  
Mr. R.K. Sinha  
Consultant

Dear Sir,

We are to inform you that BSNL job to construct the Building is completed and payment of BSNL is due for verification of bills and hence you are hereby requested to verify the Bills with job raised during your tenure.

Thanking You

For Adityapur Auto Cluster



Pompa Mukherjee  
Company Secretary

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसाँवा

आदेश

सरकार के उप सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड - राँची के ज्ञापांक 1103 दिनांक 23.06.2011 द्वारा श्री हरिशंकर प्रसाद, प्रभारी उप विकास पदाधिकारी, आयडा का हस्तांतरण परियोजना प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद में किया गया है।

इस आलोक में इस प्राधिकार से इन्हें दिनांक 18.07.2011 के अपराहन प्रभाव से विरमित किया जाता है तथा इन्हें अपना प्रभार श्री आर0के0 सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, आयडा (संविदा पर कार्यरत) को सौंपने का आदेश दिया जाता है। श्री सिन्हा श्री प्रसाद से प्रभार ग्रहण करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।


प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार।

ह0/-  
सचिव

ज्ञापांक 774: /एडीए

आदित्यपुर, दिनांक 15.07.11

प्रतिलिपि : श्री हरिशंकर प्रसाद, प्रभारी उप विकास पदाधिकारी, आयडा। श्री आर0के0 सिन्हा, तकनीकी सलाहकार (संविदा पर कार्यरत) /स्थापना सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव


आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

कार्यालय आदेश

प्रबन्ध निदेशक महोदय के निर्देश के आलोक में प्राधिकार स्तर पर उपलब्ध/कार्यरत उद्योग विस्तार पदाधिकारियों के बीच एतद् संबंधी पूर्व के निर्गत आदेश में संशोधित करते हुए कार्यहित में निम्नलिखित कार्यों का आवंटन किया जाता है :-

- | क्र० | नाम एवं पदनाम                          | आवंटित कार्य                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:   | श्री आर० के० सिन्हा, तकनीकी सहायक      | अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रथम, सप्तम, अष्टम मध्यमान क्षेत्र एवं उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना के अधिकार के कार्यों का निष्पादन करेंगे।            |
| 2:   | श्री मनोज कु० सिंह उद्योग विस्तार पदा० | द्वितीय, तृतीय चतुर्थ, एवं औद्योगिक प्रांगण के समीप तथा मासिक प्रतिवेदन एवं उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित-सूचना के अधिकार के कार्यों का निष्पादन करेंगे। |
| 3:   | श्री एकरारमूल हक, उद्योग वि० पदा०      | पूर्व में आवंटित कार्यों यथा वैधिक कार्य के अतिरिक्त, पंचम, षष्ठम चरण एवं वर्तमान क्षेत्र, मेला आयोजन, अनुदान से संबंधित कार्य।                      |


यह कार्य तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
सचिव।

ज्ञापांक 1604/ए०डी०ए०

दिनांक 10.12.11


प्रतिलिपि : श्री आर० के० सिन्हा, तकनीकी सहायक / श्री मनोज कुमार सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी / श्री एकरारमूल हक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक 1604/ए०डी०ए०

दिनांक 10.12.11

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।

अदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर जमशेदपुर ।

कार्यालय आदेश


श्री एकारमूल हक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, आयडा को जिन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या 313/ए0डी0ए0 दिनांक 26-03-011 से वैधिक कार्य पर्यवेक्षण का दायित्व दिया गया था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री एकरारमूल हक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी से उक्त कार्य को वापस लेते हुए श्री आर0 के0 सिन्हा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी को स्थानान्तरित किया जाता है।

उक्त दोनों पदाधिकारी अविलम्ब आवश्यक प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-  
सचिव।

ज्ञाप संख्या- 719 /ए0डी0ए0 दिनांक 03/8/12

प्रतिलिपि :- श्री एकारमूल हक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी / श्री आर0 के0 सिन्हा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी आयडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।


आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर जमशेदपुर।

आदेश

एतद् संबंधी पूर्व के आदेशों को अपकमित करते हुए कार्य हित में प्राधिकार में कार्यरत उद्योग विस्तार पदाधिकारियों के बीच कार्यों का वितरण निम्नप्रकार से किया जाता है :-

- |                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: श्री आर० के० सिन्हा<br>तकनीकी सलाहकार ।                  | 1: अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य करेंगे<br>2: प्रथम, चरण, सप्तम चरण एवं अष्टम चरण, फैंक्ट्री प्लान एवं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना का अधिकार का कार्य सम्पादन करेंगे।   |
| 2: श्री मनोज कुमार सिंह,<br>उद्योग विस्तार पदाधिकारी।       | 1: चतुर्थ चरण, औद्योगिक प्रांगण एवं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना अधिकार का कार्य एवं पी०सी०सी०/एल०ए०सी० का कार्य।                                                               |
| 3 श्री एकरारमूल हक<br>उद्योग विस्तार पदाधिकारी।             | 1: अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य करेंगे।<br>2: पंचम चरण, षष्ठम चरण एवं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना का अधिकार का कार्य, विधि कार्य एवं सेमिनार, मेला से सम्बन्धित कार्य। |
| 4: श्री सुरेश वाल्टर पीटर तिकी<br>उद्योग विस्तार पदाधिकारी। | 1: द्वितीय चरण, तृतीय चरण वृहत्मान क्षेत्र एवं मध्यमान क्षेत्र की संचिकाएँ एवं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना का अधिकार कार्य।                                                    |


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

  
सचिव।

ज्ञापांक 657 / ए०डी०ए०

दिनांक 19.7.12


प्रतिलिपि :- श्री आर० के० सिन्हा, तकनीकी सलाहकार/ श्री एकरारमूल हक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी/ श्री मनोज कुमार सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी/ श्री सुरेश वाल्टर पीटर तिकी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्बन्धित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक 657 / ए०डी०ए०

दिनांक 19.7.12

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।

## कार्यालय आदेश

ज्ञातव्य है कि सरकार के सचिव, उद्योग विभाग के पत्रांक 1656/सँची, दिनांक 03.06.2013 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में श्री एकरामूल हक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी को पूर्व में आवंटित प्रथम चरण, पंचम चरण एवं षष्ठम चरण से संबंधित संचिका कार्य श्री आर०के० सिन्हा, तकनीकी सलाहकार को अगले आदेश तक हस्तांतरित किया जाता है।

इसे तत्काल रूप से प्रभावी माना जाय।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक

/एडीए

आदित्यपुर, दिनांक

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव

ज्ञापांक

542

/एडीए

आदित्यपुर, दिनांक 26.6.13

प्रतिलिपि : श्री आर०के० सिन्हा/श्री एकरामूल हक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव  
25/6/13